

Arya Mahila P. G. College

I.D. Card Information Form

1382



Scholar No :

Course : B.A. (Hons.)/B.Com./B.Ed./M.A./M.Com.....

Name :

Father's Name :

Address :

Mobile No. :

Student's Signature

उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण (प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

उत्तीर्ण परीक्षा	शिक्षण संस्थान का नाम	शिक्षण की अवधि से तक	बोर्ड / विश्वविद्यालय	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी व प्राप्तांक प्रतिशत	उत्तीर्ण का वर्ष
हाई स्कूल अथवा समकक्ष							
इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष							
बी.कॉम. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर							
तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर							
पंचम एवं षष्ठीय सेमेस्टर							

परिणाम..... प्रतिशत/एस.जी.पी.ए.....सी.जी.पी.ए.....श्रेणी.....

नोट : प्रवेश फार्म के साथ प्रस्तुत किये गये संलग्नको के आगे (✓) लगायें।

- सम्पूर्ण अध्ययनकला के दौरान किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही और/अथवा व्यवधान के लिए अवधि और कारण का स्पष्ट उल्लेख करें। (एक वर्ष तक के व्यवधान के लिए विभागाध्यक्ष को सम्बोधित प्रार्थना पत्र और उससे अधिक की अवधि के लिए (Affidavit) संलग्न करें।
- संलग्नक : (कृपया वांछित प्रपत्रों/अंकपत्रों/प्रमाण-पत्रों की मूल एवं प्रत्येक की दो स्वप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित क्रम में आवेदन के साथ संलग्न करें।
 - परीक्षा नियंत्रण द्वारा जारी पी.ई.टी. प्रवेश पत्र।
 - अन्तिम अध्ययन संस्था द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के बाद जारी चरित्र-पत्र और स्थानान्तरण/प्रमाण पत्र (टी.सी.)।
 - प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र (यदि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से अन्तिम उपाधि न ली हो, प्रवेश के समय प्रवजन प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक माह की छूट के लिए घोषणा पत्र जारी करें।
 - शारीरिक विकलांगता की पुष्टि हेतु सम्बन्धित अधिकारी का प्रमाण पत्र।
 - आ.म.पी.जी. कॉलेज के इम्प्लॉई कोटा में प्रवेश हेतु महाविद्यालय की प्राचार्या द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - हाई स्कूल/समकक्ष परीक्षा का स्वप्रमाणित अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा का स्वप्रमाणित अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - स्नातक/समकक्ष परीक्षा के प्रत्येक भाग (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) को परीक्षा का स्वप्रमाणित अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
 - स्नातक स्तर परीक्षा के बाद यदि अन्य कोई डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया हो तो उसका स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाणपत्र
 - ओ.बी.सी. संवर्ग में क्रीमिलेयर में न होने सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र और शेष सभी संवर्ग में अभिभावक का आय सम्बन्धी घोषणा पत्र।
 - एस.सी./ए.टी. संवर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय रु. 1 लाख से कम होने पर सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। (यदि कोई हो।)
 - आधार प्रमाण-पत्र की स्व सत्यापित प्रति।
 - स्वप्रमाणित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), (यदि लागू हो)

मैं घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त तथ्य एवं उनके समर्थन में प्रस्तुत अंकपत्र/प्रमाण पत्र मेरी अधिकतम जानकारी में सत्य है और कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है। यदि उपर्युक्त में से कोई भी सूचना/विवरण असत्य पाया जाए अथवा छिपाया जाने की पुष्टि हो तो मेरा प्रवेश निरस्त कर, मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

संलग्नक : उपर्युक्त

सत्यापन समिति के समक्ष अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर

(हिन्दी में).....

(अंग्रेजी में).....

सत्यापन समिति द्वारा यदि मूल प्रवेश पत्र पर अंकित हस्ताक्षर और छायाचित्र पर किसी भी तरह का संदेह होने पर प्रवेश निरस्त किया जाये जिसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। प्रवेश निरस्तीकरण का महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक :

(सत्यापन- समिति के सदस्य का पूर्ण हस्ताक्षर)

प्रवेश पत्र सं.....

दिनांक.....

प्रवेश शुल्क (रसीद सं.....दिनांक.....) की प्रति जमा करने के बाद (क्रम सं. 11 पर संलग्न) उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंकपत्र/प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ पहचान-पत्र (Identity Card) सहित प्राप्त की।

(अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति

1. एम0ए0 प्रथम वर्ष (ऑनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर मैं नियमित रूप से अध्ययन करने, कक्षा शुल्क व अन्य शुल्क समयानुसार देने तथा कॉलेज के नियमों में आबद्ध रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ।
2. मैं कॉलेज की प्राचार्या के प्रवेश, अनुशासन, परीक्षा, उपस्थिति आदि से संबंधित समस्त निर्देशों एवं निर्णयों के अनुपालन की प्रतिज्ञा करती हूँ।
3. मैं नियमित रूप से प्रार्थना में सम्मिलित होने की प्रतिज्ञा करती हूँ।
4. मैं घोषित करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण स्वप्रमाणित है तथा सभी प्रविष्टियाँ सही हैं।
5. मैं वचन देती हूँ कि यदि मेरे आवेदन-पत्र अथवा अंक पत्र के संबंध में दी गई कोई सूचना, प्रविष्टि में कोई त्रुटि या असत्यता हो तो कॉलेज की प्राचार्या अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मेरे प्रवेश को अमान्य घोषित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

पिता अथवा संरक्षक के सूचनार्थ

1. विषय समूह का चुनाव तथा आवंटन एक बार होने के बाद विषय सम्बन्धी किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. सभी शुल्क प्रवेश के समय ही देय होंगे।
3. छात्रा को किसी भी दशा में कॉलेज का समय समाप्त होने से पहले कॉलेज छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह इसके सम्बन्ध में पिता/संरक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र कॉलेज की प्राचार्या से स्वीकृत न करा लें।
4. प्रत्येक छात्रा के लिए प्रत्येक विषय में 100% उपस्थिति आवश्यक है, इससे कम उपस्थिति पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

पिता अथवा संरक्षक की विज्ञप्ति

मैं अपनी पुत्री/पत्नी/संरक्षिता.....को
एम0कॉम0 प्रथम वर्ष(ऑनर्स)पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने पर उसके अध्ययनकालीन व्यवहार का एवं कक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों को नियमित रूप से देने का उत्तरदायित्व लेता हूँ। इसके साथ ही कॉलेज में प्रवेश, अनुशासन, परीक्षा से संबंधित सभी नियमों का नियमित रूप से पालन करने या प्राचार्या अथवा कॉलेज के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं निर्णयों का मेरी पुत्री/पत्नी/संरक्षिता द्वारा पालन किये जाने का भी उत्तरदायित्व लेता हूँ।

दिनांक :

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

THE PRINCIPAL REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (SECOND AMENDMENT), REGULATIONS, 2013

UNDERTAKING BY THE STUDENT

1. I....., UET/PET Roll No., Son/Daughter of Mr./Mrs./Ms. having been admitted to course of the Faculty/Department/MMV/Centre/School of the Banaras Hindu University, Varanasi / AMPGC/DAV/VCW/VKM, Colleges admitted to the privilege to the Banaras Hindu University, Varanasi (strikeout whatever is not applicable) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (hereinafter called the "Regulations") care fully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constituted ragging.
3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5. I hereby affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this day of month of year

Signature of deponent
Name :

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

verified at on this the day of month of year.

Signature of deponent
(Full name of the student)

आर्य महिला पी.जी. कॉलेज
Arya Mahila P. G. College

Grade "A" Accredited by NAAC & "College with Potential for Excellence" by UGC
(Admitted to the Privileges of BANARAS HINDU UNIVERSITY, Varanasi)

Be it known to all concerned that as per University rules in force all the students are required to have 100% attendance. However, condonation upto 10% of the deficiency can be made without any application. A further condonation upto 20% can be granted on student's applying in advance for cogent reasons. In no case a candidate will be eligible to appear at the University examination with less than 75% attendance overall and in every subject.

In addition, every student is to compulsorily take part in sports of her choice and cover 50 hours of sports involvement per year.

यह विदित हो कि विश्वविद्यालय के वर्तमान नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को विषय की शत - प्रतिशत (100%) कक्षाओं में उपस्थिति होना अनिवार्य है। उपस्थिति में 10% तक की कमी बिना किसी आवेदन के क्षम्य है जबकि अतिरिक्त 20% की कमी उचित कारण के साथ विद्यार्थी को आवेदन करने पर उपलब्ध हो सकेगी। किसी भी दशा में कोई विद्यार्थी समस्त विषयों में 75% से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।

साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपनी रुचि के खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य है तथा प्रतिवर्ष 50 घंटे खेल में सम्मिलित होना भी आवश्यक है।

आज्ञा से-
प्राचार्या

आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज
चेतगंज, वाराणसी

छात्रा का नाम कु. /श्रीमती.....

पिता/अभिभावक का नाम श्री.....

छात्रा का हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर